



दिनांक 30.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति 500 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बस्ती/थाना हरैया

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 29.09.2026 को थाना हरैया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार तपसी धाम मोड़ पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना हरैया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हरैया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमित निवासी भदावल कला थाना हरैया जनपद बस्ती।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

जनपद हाथरस/थाना कोतवाली नगर

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 30.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तरफरा जाने वाले अधबने प्लाट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त तुलसी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—तुलसी निवासी छोटा अईयापुर थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना रकाबगंज

• 10—10 हजार रुपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29.09.2026 को थाना रकाबगंज व थाना ताजगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार अम्बेडकर पार्क के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—लक्की 2—सुमित उर्फ फते को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05—05 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सदर बाजार पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 10—10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रकाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लक्की निवासी सिद्धार्थनगर गोबर चौकी थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा।

2—सुमित उर्फ फते निवासी सिद्धार्थनगर गोबर चौकी थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर

• 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29.09.2026 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार सुभाष नगर रिंग रोड स्थित गर्गा पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना

तिलहर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुरेन्द्र निवासी ग्राम शाहवेगपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

जनपद बरेली/थाना आंवला

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 14 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र 315 बोर
 - 01 जीवित कारतूस, 07 नाल 315 बोर
 - 04 मोबाइल फोन, 01 कार
- अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 29/30.09.2026 को थाना आंवला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मनौना से आगे कसूमरा से पहले स्थित बन्द पड़े भट्टे के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्तों 1—योगेन्द्र प्रताप 2—रजत प्रताप उर्फ शंकर 3—रामगोपाल 4—अवधेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 14 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, 07 नाल 315 बोर, 04 मोबाइल फोन, 01 कार, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना आंवला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—योगेन्द्र प्रताप निवासी गोतरा पट्टी भौनी थाना उसावां जनपद बदायूं।
- 2—रजत प्रताप उर्फ शंकर निवासी गोतरा पट्टी भौनी थाना उसावां जनपद बदायूं।
- 3—रामगोपाल निवासी धीरावारी थाना दातागंज जनपद बदायूं।
- 4—अवधेश निवासी कमा गौटिया थाना दातागंज जनपद बदायूं।

बरामदगी

- 1-14 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र 315 बोर।
- 2-01 जीवित कारतूस, 07 नाल 315 बोर।
- 3-04 मोबाइल फोन, 01 कार।
- 4-अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस-2

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 08 लाख रुपये कीमत के 41 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा
- नगद रुपये
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 30.09.2026 को थाना फेस-2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शमशान घाट भंगेल, गंदे नाले के पास से अभियुक्त प्रिन्स कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 08 लाख रुपये कीमत के 41 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा, नगद रुपये, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना फेस-2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-प्रिन्स कुमार निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना महरमा जनपद गोण्डा झारखण्ड, हालपता तिगरी गोल चक्कर थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

- 1-लगभग 08 लाख रुपये कीमत के 41 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा।
- 2-नगद रुपये।
- 3-घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

➤ जनपद सहारनपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ 05 लाख रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद सहारनपुर पुलिस ने अभियुक्त तालिब पुत्र सलीम निवासी ग्राम असगरपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ 05 लाख रु० को एनडीपीएस एक्ट की धारा 66(E) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

➤ जनपद इटावा/थाना इकदिल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना इकदिल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-रविन्द्र 2-अरुण कुमार उर्फ बन्टू 3-अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद हमीरपुर/थाना मौदहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना मौदहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-भगवानदीन 2-राजेन्द्र को सश्रम आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आशीष को आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद गाजीपुर/थाना बहरियाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गाजीपुर द्वारा थाना बहरियाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मनोहर को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद एटा/थाना बागवाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 45 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना बागवाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364ए/302/201/419 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राकेश उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मो0तैय्यब को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मसूरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रुपये अर्थदण्ड)

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना मसूरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/498ए भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गुलशन को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद सोनभद्र/थाना दुद्धी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना दुद्धी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(3) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त छोटेलाल को 20 वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद गोण्डा/थाना तरबगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुशील को 20 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद कन्नौज/थाना कोतवाली कन्नौज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 02 लाख रुपये अर्थदण्ड)

जनपद कन्नौज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कन्नौज द्वारा थाना कोतवाली कन्नौज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल को 20 वर्ष के कठिन कारावास व 02 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
